संख्या 26/1/2014-एपीडीआरपी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली 15 दिसम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः आईपीडीएस के लिए निगरानी समिति का गठन।

एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस) सोलर पैनलों, मीटरिंग के प्रावधान और वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाने सहित शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है। आईपीडीएस के लिए एक निगरानी समिति का गठन निम्नांकित सदस्यों को मिलाकर किया जा रहा हैः-

1. सचिव (विद्युत)- अध्यक्ष
2. विशेष सचिव/अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय-सदस्य
3. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
4. सलाहकार/प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग/उत्तराधिकारी संगठन
5. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
7. संयुक्त सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
8. संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
9. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
10. संयुक्त सचिव (वितरण), वित्त मंत्रालय
11. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी-सदस्य सचिव और संयोजक

2. समिति के निम्नांकित अधिकार होंगेः-

क. कार्य के क्षेत्र सहित प्रचालनगत दिशा-निर्देशों का अनुमोदन करना और कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के प्रचालन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय करना और सीसीईए द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के भीतर तत्संबंधी संशोधन करना।

ख. बीपीआर्स/परियोजनाओं की मंजूरी, कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा।

ग. असाधारण मामलों में परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने के कारण मामले के गुण दोष के आधार पर, परियोजना निष्पादन के लिए समय विस्तार की मंजूरी देना, बशर्ते लागत में बढ़ोतरी न हुई हो।

घ. सीईए में आंकड़ा केंद्र के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों और दिशा निर्देशों का अनुमोदन करना।

ङ. निर्दिष्ट परिणाम हासिल करने पर राज्यों को अतिरिक्त अनुदान मंजूर करना।

च. पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/3/2008-एपीडीआरपी दिनांक 24.09.2008 के तहत गठित संचालन समिति के अधिकारों का इस्तेमाल करना।

4. 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना में पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईपीडीएस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए समिति को अपेक्षित कार्यालयी सहायता उपलब्ध कराएगी, जैसे कार्मिक, सामग्री और अन्य लॉजिस्टिक सहायता।

5. समिति नोडल एजेंसी को शुल्क के भुगतान के लिए दिशा निर्देशों का अनुमोदन भी करेगी।

6. समिति के सदस्य अपने अपने कार्यालयों से यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आहरित करेंगे।

यह ज्ञापन सचिव (विद्युत) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(जी स्वेनज़ालियन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली. 23708051

सेवा में,
एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए निगरानी समिति से सभी सदस्यगण

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव (आरएनसी), विद्युत मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (वितरण) के निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (एफए) के निजी सचिव
4. उप सचिव (वितरण) के निजी सहायक

संख्या 14/03/2008-एपीडीआरपी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली 24 सितम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषयः 9वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति का गठन।

नौंवी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का पुनर्गठन किया गया है। एपीडीआरपी संचालन समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें निम्नांकित सदस्य शामिल होंगेः-

1. सचिव (विद्युत)- अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
3. प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग
4. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी-सदस्य सचिव और संयोजक
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
7. प्रधान सचिव (विद्युत), हरियाणा सरकार
8. प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
9. अध्यक्ष तमिलनाडु विद्युत बोर्ड
10. प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
11. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
12. संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय
13. निदेशक, (वितरण), विद्युत मंत्रालय-संयोजक

2. क्रमांक (7), (8), (9) और (10) पर वर्णित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत संस्थाओं के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

3. समिति निम्नांकित कार्य करेगी -

(क) नोडल एजेंसी को अदा किए जाने वाले शुल्क के अनुमोदन सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के प्रचालन के लिए दिशा निर्देशों का अनुमोदन करना।

(ख) प्राक्कलन के सुधार या संशोधन सहित परियोजनाओं को मंजूरी देना; कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करना;

(ग) कार्यक्रम के भाग ग के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों का अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करना।

(घ) बेसलाइन डेटा प्रणालियों की जांच और प्रमाणन के लिए एजेंसियां नियुक्त करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि विद्युत संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम की शर्तें पूरी की जा रही हैं या नहीं।

(ङ) आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद ऋण को अनुदान में बदलने की मंजरी देना।

4. 11वीं पंचवर्षीय योजना में एपीडीआरपी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पॉवर फॉइनेंस कार्पोरेशन (पीएफस) कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए समिति को अपेक्षित कार्यालयी सहायता उपलब्ध कराएगी, जैसे कार्मिक, सामग्री और अन्य लॉजिस्टिक सहायता।

5. समिति के सदस्य अपने अपने कार्यालयों से यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आहरित करेंगे।

यह ज्ञापन विद्युत मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(रमेश चंद्र)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली. 23705759